भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 319

दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां

***319. श्री मनोज तिवारीः**

श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अंतर्गत कोई उपलब्धि हासिल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में भूमि संबंधी अभिलेख का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण करने के लिए सरकारद्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों के समाधान पर भूमि संबंधी अभिलेख के डिजिटलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

****

.

<u>'डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां' विषय</u>

<u>परदिनांक 17.12.2024को उत्तरार्थलोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 319के भाग (क) से (ग)</u>

<u>के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) भारत सरकार, देश में भूमि अभिलेखों तथा रजिस्ट्रीकरण प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए वर्ष 2016-17 से केन्द्र सरकार की ओर से 100% वित्तीय सहायता के साथ डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) नामक एक व्यापक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। डीआईएलआरएमपी की अवधि को 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। अब तक, देश में 98.50%विद्यमान भूमि अभिलेखों (अधिकारों के अभिलेख) का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। पूर्वोत्तर राज्योंके कुछ क्षेत्रों में भूमि के सामुदायिक स्वामित्व के कारण अन्य राज्यों की तरह भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख ने पिछले कुछ वर्षों से ही डिजिटलीकरण का कार्य प्रारंभ किया है।

(ख) यह विभाग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित रूप से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों के माध्यम से डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी कर रहा है। साथ ही, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए विभाग, राज्यों के साथ अलग-अलग बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने दिनांक 09.08.2024 को "पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25" संबंधी योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य, यह सुनिश्चित करते हुए कि, ग्रामीण भूमि अभिलेख यथार्थ, अद्यतित और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा बैंकिंग सेक्टर के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत हों, भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण को गति देना और उसे पूरा करना है।

(ग) डीआईएलआरएमपी, भूमि सूचना और प्रबंधन प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए एक डिजिटल पहल है। राज्यों/संघ राज्यों के भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकृत होने से नागरिक, संपत्ति के स्वामित्व के अंतरण की सरलीकृत प्रक्रिया वाले त्रुटि-रहित, पारदर्शी और छेड़छाड़-रोधी भूमि अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति विवादों में कमी आती है।

*****